न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES — बिलोपित / बिलोपित — 20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

501

R 5143-II/17

धन्नू काछी आत्मज झुर्रू काछी उम्र 50 वर्ष सा0 छपड़ौर तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0

आवेदक श्री धन्नू काछी द्वारा प्रस्तुत / 31.3.17

.... आवेदक

बनाम

1. रामचरण काछी आतम्ज स्व0 फोकईया उम्र 40 वर्ष
2. झल्लू काछी आत्मज फोकईया काछी उम्र 37 वर्ष
3. रामकरण काछी आत्मज स्व0 फोकईया काछी उम्र 34 वर्ष
4. राज काछी आत्मज स्व0 फोकईया काछी उम्र 30 वर्ष
5. मुस0 सुखमन्ती बेवा स्व0 फोकईया काछी उम्र 65 वर्ष सभी निवासी ग्राम सेमरा तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0
6. म0प्र0 राजसव विभाग द्वारा कलेक्टर उमरिया .... अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर डी0डी0 अग्रवाल जिला उमरिया के प्रकरण क्र0 60/अ–19(4)/89–90 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2009 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

आवेदक विनम्र निवेदन करता है कि ग्राम छपडौर स्थित आराजी खसरा नं. 874 रकवा 3.77 एकड़ शासकीय भूमि वन विभाग राजस्व अभिलेख में थी वर्ष 1988–89 में खसरा नं. 871/1 में रकवा 2.18 एकड़ वन विभाग एवं खसरा नं. 874/2 रकवा 3.59 एकड़ राजस्व विभाग बिना किसी वैध आदेश के लेख किया गया जिससे भूमि खसरा नं. 874 का रकवा बढाकर 5.77 एकड़ यानी 2 एकड़ बढ़ाकर एवं बिना किसी प्रकार से विहित वर्ष में फोकईया का कब्जा न होते हुये उसके हक में जरिये प्रकरण क्र0 380/अ–19(4)/1988–89

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- निग.-5143-दो/2017 जिला-उमरिया

धन्नू काछी विरूद्ध रामचरण आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री जे.पी. मिश्रा उपस्थित। 3. यह निगरानी अपर कलेक्टर उमरिया, जिला- उमरिया के प्रकरण क्रमांक- 60/अ-19(4)/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 09-04-2009 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 31-03-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय	

23/01/19

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 23/01/19
सदस्य